(21)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–शिवपुरी

I/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/01298

बाला पुत्र श्री धर्मा ढीमर
निवासी–ग्राम साबौली तहसील नरवर जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1 मु. प्रेमवती बेवा अतर सिंह
2 लक्ष्मी पुत्री अतर सिंह
3 राजकुमार पुत्र अतर सिंह
निवासी– ग्राम साबौली तहसील नरवर जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

आज दिनांक 20.2.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 08.3.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 329/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.12.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1 यहकि, ग्राम साबौली तहसील नरवर में स्थित भूमि सर्वे नं. 758, 759, 761, 984 एवं 985 कुल किता 5 कुल रकवा 4.65 है0 आवेदक एवं अनावेदकगण के नाम सह खाते की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। इसलिये भूमि का बंटवारा एवं बंटाकन हेतु आवेदन पत्र विचारण न्यायालय तहसीलदार नरवर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसपर तहसीलदार नरवर द्वारा प्रकरण क्रमांक 43/2016–17/अ–27 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 03.08.2017 से आदेश पारित किया गया।

2 यहकि, तहसीलदार नरवर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक मु0 प्रेमवती द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण क्रमांक 329/2016–17 प्रस्तुत की गयीं थीं। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 29.12.2017 प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियो पर विधिवत् विचार किये बिना ही पारित किया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह वर्तमान पुनरीक्षण उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

**पुनरीक्षण के आधार :**

यहकि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा का आदेश

R. I/नि०ना/शिवपुरी/प्र-ा/2018/1298

8.3.18

आवेदक आर० की को० कार्य० देखी। उपरा/ आवेदक आर० के लिये इन प्रपत्रों इसी स्तर पर नोटशीट में समाप्त किया जाता है। पश्चात दाखिल रिकार्ड हो।

प्र०सहा०





योग्य है।

पत्रों की विधिवत